PM Shri School Jahawar Navodaya Vidyalaya Jat Baroda, Distt. Gangapur City (Raj.)

FORM OF TENDER VEHICLE HIRE (ON CONTRACT BASIS) 2024-25

Cost of Form : Rs.500/- EMD: Rs. 10000/-

Name of Firm...

Registration Number of the firm................................. Valid Up to ....

Sub :- Vehicle hire (On contract basis) tender form.

With reference to your advertisement for the above cited items Published in the Danik Bhaskar dated 19.12.2024 in accordance with the terms and condition of your tender form issued to me for the purpose, I tender the rates of the under mentioned items: -

S. No.	Particulars of Vehicle	Offered Amount per month (Including Tax)	Details of EMD, D.D.No. Date & amount
1	**Mahindra & Mahindra Bollero** :- Van is having three rows sitting arrangement (One seat along with driver, one back complete seat behind the driver and Two rows of the seat just behind the middle seat which are fully covered with proper locking system.) Total seating capacity at least 6+1= 7 seater. Air conditioned, Taxi Permit .		

Note :- 1. Vehicle owner whose minimum rates is approved by the vidyalaya on contract basis, will provide the vehicle to vidyalaya within Ten days alonghwith dirver, registration, Taxi permit. Insurance papers. drivering licence of direver & police verification of dirver etc. after receiving the office order.

2. The vehicle to be hired should be latest model not more then 02 Years old on January,2025 and should not have run more then 25,000 Kms. On the date of Hireing.

I/ we have carefully read and understood the terms and conditions of the Tender form for the Hire of vehicle for which this Tender is submitted and in the even of My/Our Tender is approved. I/we undertake in the legal scene to abide by the terms and conditions laid down in the form annexed to this tender.

Date :- .... Signature ....

Place :- .... Name & Address ....

....

....

पी.एम.श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय

जाटबडौदा, जिला–गंगापुर सिटी,(राज.)

.....वाहन किराया अनुबंध.....हेतु निविदा प्रपत्र 2024–25

1. नाम सप्लायर / फर्म : ....

2. अ. स्थाई पता : ....

....

ब. पत्र व्यवहार का पता :..

....

जमा की गई धरोहर राशि का विवरण :ड्राफ्ट नं............................दिनांक ....
राशि ....

जिस नाम से भुगतान किया जाना है हेतु सूचना :–

1. फर्म / व्यक्ति का नाम :..
2. पैन / टैन नम्बर :..
3. मोबाइल / फोन नम्बर :..
4. ई–मेल पता :..
5. बैंक का नाम :..
6. बैंक शाखा का पता :..
7. बैंक का आईएफएससी कोड :..
8. बैंक खाता संख्या : ....
9. खाताधारक का नाम :..

3. अ. निविदा की शर्तो के अनुसार सप्लाई नहीं करने पर प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, जाटबडौदा, तहसील गंगापुर सिटी को मेरी धरोहर राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

4. ब. मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र मे लिखी गई समस्त शर्ते तथा निविदा विज्ञापन शर्ते पढ ली गई है एवं उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ तथा मुझे कय समिति का निर्णय मान्य होगा।

दिनांक ....

निविदा दाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

धरोहर राशि व निविदा शुल्क (यदि वैबसाइट से डाउनलोड
किया गया है) का विवरण एवं शर्त सहमति पत्र

01. निविदा प्रपत्र के साथ यदि वैबसाइट से डाउन लोड़ किया गया है तो निविदा शुल्क रूपये .... का बैंक ड्राफट कमांक .... दिनांक .... जो कि ....बैक द्वारा प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, जाटबडौदा, के नाम से जारी किया गया है। संलग्न कर दिया गया है।

02. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि रूपये .... का बैक ड्राफ्ट कमांक.. .... दिनांक .... जो कि ....बैक द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय, जाटबडौदा , सवाई माधोपुर के नाम से जारी किया गया है, संलग्न कर दिया गया है।

03. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि रूपये .... जवाहर नवोदय विद्यालय, जाटबडौदा, के खाता संख्या 3896000100014659 IFSC Code PUNB0190720 पंजाब नेशनल बैंक गंगापुरसिटी में डिजीटल मोड ट्राजेक्सन आई.डी.. ....के माध्यम से दिनांक .... को जमा करवा दिया गया है जिसकी डिजीटल मोड की रसीद संलग्न है।

04. उक्त धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में लिखित प्रावधानों के अनुसार अंकित की गयी शर्तो के उल्लंघन पर जब्त किये जाने का अधिकार निविदाकर्ता का होगा।

निविदा प्रपत्र में अंकित शर्त संख्या 01 से 28 तक समस्त शर्ते हमें मान्य है। विशेष रूप से शर्त संख्या 14 का अवलोकन कर समझ लिया है । जिसके लिए मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनॉक.................. हस्ताक्षर.......................................

स्थान ....

निविदा भरने वाले के नाम व फर्म का पूर्ण पता

पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, जाट बडौदा जिला – गंगापुर सिटी (राज.)
(शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार)

–: वाहन किराया अनुबंध की निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्ते :–

1. निविदा लिफाफों पर गाड़ी किराए पर लेने हेतु निविदा का उल्लेख किया जाना चाहिए। लिफाफे चपडी से सील अथवा हस्ताक्षर कर सेलो टेप से बन्द होने चाहिए।

2. निविदाएं जवाहर नवोदय विद्यालय, जाट बडौदा जिला सवाई माधोपुर में दिनांक 02.01.2025 को सायं 3:00 बजे खोली जायेगी।

3. निविदा फार्म की शर्तो, जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है, के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को फार्म की शर्तो की सहमति पर हस्ताक्षर अंकित करने चाहिए।

4. निविदा फार्म साफ, सुथरे पैन द्वारा भरा जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की कांट–छांट नही होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना हो तो साफ–सुथरे तरीके से किया जाना चाहिए तथा परिवर्तन पर हस्ताक्षर व दिनांक का उल्लेख होना चाहिए। निविदाकर्ता के हस्ताक्षर के अभाव में निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।

5. अधोहस्ताक्षरकर्ता किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखता है तथा न्यूनतम दर देने वाले निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नही है। वह निविदा को बिना उसका कारण बताए रद्द कर सकता है।

6. निविदा स्वीकार होने पर यह निविदादाता व निविदाकर्ता के बीच एक अनुबंध होगा तथा स्वीकृत निविदादाता निविदा की शर्तो के अनुरूप कार्य करेगा।

7. निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र में वर्णित संबंधित निविदानुसार रूपये 10000/– धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) प्रति गाडी के रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजी जानी चाहिए। बैंक ड्राफ्ट प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, जाट बडौदा जिला गंगापुर सिटी के पक्ष में देय होना चाहिए। जिन निविदाकर्ताओ की निविदा स्वीकार स्वीकार नही होगी, उन्हें धरोहर राशि की अन्तिम स्वीकृति होने की तारीख से एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी।

8. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जाएगी, उन्हें संलग्न प्रपत्र अनुसार धरोहर राशि रूपये 10000/– (रूपये दस हजार मात्र) प्रति गाड़ी तथा एक माह के किराए के बराबर की शेष राशि सुरक्षित राशि (SECURITY DEPOSIT) के रूप में जमा कराने होगे।

9. विद्यालय द्वारा स्वीकृत निविदादाता की सुरक्षित जमा राशि को अनुबन्ध समाप्ति की तिथि से अगले 6 माह तक सुरक्षा की दृष्टि से रोका जाएगा ताकि अगर अनुबन्ध की अदायगी मे कोई त्रुटि पायी जाएगी तो उसका निबटारा सुरक्षित जमा राशि से किया जायेगा।

10. निविदा देने वाले व्यक्ति को, जिसकी निविदा स्वीकृत की जाती है, अनुबन्ध प्रपत्र मे लिखी गयी समय सीमा के भीतर विद्यालय में गाड़ी सुपुर्द करनी होगी। यदि अनुमोदित निविदादाता संबंधित अवधि के भीतर गाडी को मय चालक के सुपुर्दगी करने में असफल रहता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वे अनुबन्ध को समाप्त कर दें तथा दूसरी फर्म/व्यक्ति से गाड़ी की आपूर्ति कर अनुबन्ध को पूरा करवा ले या खुले बाजार से किराए की गाडी की आपूर्ति कर ले। इस संबध में निविदादाता की सुरक्षित धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा अन्य व्यक्ति या फर्म से गाडी की आपूर्ति के कारण अधिक भुगतान राशि के किराए की पुनःभरण की जिम्मेदारी भी संबंधित स्वीकृत निविदादाता, जिसकी सुरक्षा राशि जब्त की गई है, की होगी।

11. किराए पर ली जाने वाली गाडी, प्रत्येक दिन (24 घण्टे के लिए) तथा पूरे वर्ष में 12 माह के लिए होगी।

12. गाड़ी किराए पर लेने का अनुबन्ध दो वर्ष हेतु विद्यालय द्वारा निर्धारित की गई अवधि के लिए होगा, गाडी की सेवा संतोषजनक होने पर आपसी सहमति पर अनुबंध आगे और बढ़ाया जा सकता है।

13. किराए की गाड़ी के साथ संबंधित निविदादाता को गाडी का वाहन चालक भी लगाना होगा, जिसकी ड्यूटी गाडी के साथ होगी।

14 गाड़ी के लिए केवल विद्यालय द्वारा डीजल भरवाया जायेगा जिसकी इन्ट्री लोग बुक मे की जायेगी, गाडी की लोग बुक (LOG BOOK) के अनुसार वहन किया जायेगा। अन्य सभी प्रकार के वाहन संबंधित खर्चे जैसे :– वाहन चालक का वेतन, तेल व लुबरीकेन्ट (OILS AND LUBRICANTS)] मरम्मत व रिपेयर गाड़ी संबंधी अन्य उपकरणों को बदलने का खर्च तथा गाडी की सर्विसिंग (SERVICING) बीमा इत्यादि खर्चो की जिम्मेदारी निविदादाता तथा गाड़ी के मालिक की होगी।

15. मोटर वाहन अधिनियम तथा अन्य अधिनियम (ACTS) जैसे कि लेबर अधिनियम, सड़क कर, बीमा अधिनियम, बैठने वाले व्यक्तियों का बीमा एवं अन्य प्रकार के बीमा प्रपत्र पूर्ण कराने आदि सभी तरह के सरकारी अधिनियमों को पूरा करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा इन अधिनियमों के अन्तर्गत होने वाले खर्च व दण्डनीय खर्च की जिम्मेदारी भी निविदादाता/गाडी के मालिक की होगी। टैक्सी परमिट नम्बर वाले वाहन को ही प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

16. विद्यालय द्वारा निविदादाता को संलग्न प्रपत्र के अनुसार गाडी का किराया प्रतिमाह पीएफएमएस/चैक द्वारा दिया जाएगा।

17. गाड़ी व वाहन चालक विद्यालय परिसर में प्राचार्य के निर्देश व अधीन में 24 घन्टे रहेगी/रहेगा। वाहन चालक बिना प्राचार्य की अनुमति विद्यालय परिसर नहीं छोडेगा, अगर बिना अनुमति विद्यालय परिसर छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिदिवस 1000/– रूपये दण्ड के रूप में निविदादाता से वसूल किया जावेगा।

18. वाहन चालक को जहां तक संभव होगा, विद्यालय परिसर में उपलब्ध भवन में रहने के लिए जगह प्रदान की जाएगी तथा विद्यालय में उपलब्ध मैस में खाना खाने की स्वीकृति भुगतान आधार पर प्रदान की जाएगी।

19. जैसा कि निविदा फार्म की शर्त संख्या 14 में यह बताया गया कि गाडी की सर्विस और रखरखाव की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। यह भी बताया जा रहा है कि गाड़ी की सर्विस व रखरखाव संबंधित नियम निम्नलिखित होंगे:–

(अ) रखरखाव व सर्विस (MAINTENANCE & SERVICE) के लिए महीने में एक दिन तथा पूरे वर्ष में दस दिन दिए जावेंगे। वाहन के रखरखाव व सर्विस के लिए निविदादाता अपने खर्चे पर वाहन लेकर जावेगा।

(ब) एक बार में गाड़ी मरम्मत (REPAIR) के लिए एक दिन का समय दिया जायेगा यदि इससे अधिक समय लगता है तो वाहन मालिक वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करेगा। दूसरी गाड़ी निविदादाता द्वारा उपलब्ध करानी होगी। अगर निविदादाता दूसरी गाडी उपलब्ध नही करवा पाता है तो प्रत्येक दिन के हिसाब से निम्नलिखित वसूली की जावेगी :–

"प्रत्येक दिन के किराए का वास्तविक भुगतान या रूपये 1000/– प्रतिदिन जो दोनों में ज्यादा होगा।

(

20. गाड़ी का उपयोग सम्भवतः सबंधित राज्य की सीमाओ के अन्दर किया जावेगा।

21. निविदादातो को यह बताया जा रहा है कि गाड़ी की आवश्यकता, यह विद्यालय जो कि आवासीय विद्यालय है तथा लड़के और लडकियों की सहशिक्षा संचालित होती है, के लिए है। अतः गाड़ी के मालिक का यह दायित्व होगा कि वह प्रभावशाली व उपयोगी सेवा विद्यालय को प्रदान करेंगे। अगर गाडी के मालिक की सेवाएं दोषपूर्ण तथा संतुष्टिजनक नही पाई जाती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगाकि अनुबन्ध को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना व नोटिस के समाप्त कर दें।

22. निविदादाता द्वारा गाड़ी के साथ जो वाहन चालक लगाया जाएगा, उसके कार्य–कलापो की पूरी जिम्मेदारी गाड़ी के मालिक की होगी। अगर गाड़ी के वाहन–चालक के कार्य के लिए किसी भी तरह की नकारात्मक रिपोर्ट/नोट लिखा जाता है तो गाड़ी के मालिक का यह दायित्व होगा कि वे वाहन चालक को तुरन्त बदल दें। अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि उक्त रिपोर्ट/नोट के आधार पर अगर यह पाया जाता है कि वाहन–चालक का कार्य असन्तोषजनक है तो अनुबन्ध को बिना पूर्व सूचना व नोटिस के समाप्त कर दिया जावेगा।

23. निविदाता को गाड़ी वाहन–चालक को विद्यालय में लगाने से पूर्व वाहन चालक का अनुबन्ध अवधि का ड्राइविंग लाइसेन्स एवं चरित्र को संबंधित पुलिसथाना से सत्यापित करवाना आवष्यक होगा तथा सत्यापित मूल प्रति विद्यालय में देनी होगी।

24. आयकर विभाग द्वारा जारी "स्त्रोत पर कर की कटौती" के नियमानुसार टी.डी.एस. काटकर भुगतान किया जावेगा।

25. स्वीकृत निविदादाता को 100/–रू.का नोन जूडिशल स्टाम्प पेपर पर विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुबंध पर हस्ताक्षर कर नोटेरी करवाकर जमा कराना होगा।

26. वाहन निविदादाता को अनुबंध पर लगाए जाने वाले वाहन से संबंधित रजिस्ट्रेषन वाहन बीमा त्मेंसम स्मजजमत अथवा गाड़ी के बिल व ड्राईवर के लाईसेंस की छायाप्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।

27. अनुबन्धित वाहन को विद्यालय द्वारा निश्चित की गई तिथि से विद्यालय में निविदादाता को उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

28. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र गंगापुर सिटी होगा।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय,जाट बडोदा
गंगापुरसिटी(राज.)

निविदा प्रपत्र में उक्त लिखित शर्त समस्त कम संख्या एक से अटठाईस तक हमें मान्य है।

निविदा भरने वाले का हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

दूरभाष ....